रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062022-236351
CG-DL-E-06062022-236351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2475] नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2022/ज्येष्ठ 16, 1944
No. 2475] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2022/JYAISHTHA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

का.आ. 2602(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है कि,—

(क) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (8क) में निर्दिष्ट पात्र विनिधान निधि दशा में,—

(i) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड.), खंड (च) और खंड (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें लागू नहीं होंगी;

(ii) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) का खंड (ट) निम्नलिखित रीति में उपांतरित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ट) निधि, भारत में किसी व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन की संक्रियाएं नहीं करेगा या भागीदारी नहीं करेगा और ऐसे व्यक्ति में विनिधान को सुरक्षित रखने के मॉनीटरी तंत्र के इस प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भी है, को भारत में ऐसे व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन की संक्रियाओं में भागीदारी के रूप में नहीं समझा जाएगा;";

(ख) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (8क) में निर्दिष्ट पात्र निधि प्रबंधक के लिए, अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (4) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को निम्नलिखित रीति में उपांतरित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन यथासूचित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी विपणन मध्यवर्ती) विनियमन 2021 या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए ऐसे अन्य विनियमों के अनुसार पोर्ट फोलियो प्रबंधक या विनिधान सलाहकार के रुप में रजिस्ट्रीकृत है;"।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 59/2022/फा. सं. 370142/11/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव